भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 381
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत महाराष्ट्र के लिए निधि का आवंटन

381. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण को पूरा करने के लिए कोई समय - सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान , विशेष रूप से महाराष्ट्र में, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लंबाई (किमी में) का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत , मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को एक इकाई मानते हुए निधियां जारी की जा रही है और राज्य सरकार इन निधियों को जिला तथा उप-जिला स्तर पर आवंटित करती है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों को उनके स्वीकृत कार्यों के साथ साथ उनके पास उपलब्ध पिछले वर्ष जारी की गई अप्रयुक्त शेष राशि और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर पर निधियां जारी की जा रही है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत , मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य को केंद्रीय अंश के रूप

में ₹2,708.72 करोड़ जारी किए थे और राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 (16.07.2025 तक) के दौरान ₹4,445.65 करोड़ (राज्य अंश सहित) का व्यय किया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य अंश सहित व्यय का जिलावार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। व्यय का जिलावार विवरण omms.nic.in->Progress Monitoring:-> MPR पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) मंत्रालय नई संपर्कता और उन्नयन कार्यों पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्षेत्रों के साथ मंत्रालय वर्ष 2000 से पीएमजीएसवाई का कार्यान्वयन कर रहा है । पीएमजीएसवाई-I (छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में) के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा मार्च 2025 थी। पीएमजीएसवाई I (छत्तीसगढ़ में) , पीएमजीएसवाई-II, पीएमजीएसवाई-III, और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा मार्च 2026 है। पात्र 25,000 बसावटों को नई संपर्कता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई-IV को मंजूरी दी गई है और इस योजना के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा वित्त वर्ष 2028-2029 है।

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के तहत निर्मित सड़क लंबाई का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**निर्मित सड़क लंबाई (किमी में)**
2022-23	1,143.70
2023-24	1,570.12
2024-25	2,046.45
2025-26 (16.07.2025 की स्थिति के अनुसार)	267.24
कुल	**5,027.51**

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 381 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य अंश सहित व्यय का जिलावार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	व्यय (राज्य अंश सहित) (रुपए करोड़ में)
1	अहमदनगर	231.08
2	अकोला	115.41
3	अमरावती	136.85
4	औरंगाबाद	131.44
5	बीड	124.04
6	भंडारा	83.95
7	बुलढाना	78.64
8	चंद्रपुर	188.39
9	धुले	62.37
10	गढ़चिरोली	534.16
11	गोंदिया	107.62
12	हिंगोली	94.63
13	जलगांव	101.12
14	जालना	133.88
15	कोल्हापुर	127.04
16	लातूर	126.31
17	नागपुर	151.01
18	नांदेड़	112.22
19	नंदुरबार	129.18
20	नासिक	244.89
21	उस्मानाबाद	135.53
22	पालघर	84.67

23	परभनी	68.55
24	पुणे	170.69
25	रायगढ़	47.84
26	रत्नागिरि	112.87
27	सांगली	104.49
28	सतारा	137.21
29	सिंधुदुर्ग	44.57
30	सोलापुर	223.70
31	थाने	34.28
32	वर्धा	77.68
33	वाशिम	68.64
34	यवतमाल	120.68
कुल		**4,445.65**